संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांकः- 4/10 /~~09~~/2023

क्रमांक 4670 /टीसी/42/श्योपुर/उपां/नग्रानि/2023 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् दवारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट श्योपुर विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर	1420	0.0730	0.0730	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2		1421	0.1570	0.1570		
	कुल रकबा		0.230	0.230		

शर्त :-

1. **भूमि के पश्चिम दिशा स्थित किला रोड हुसैन चौक से किला गेट तक मार्ग की** श्योपुर विकास योजना, 2021 में **प्रस्तावित चौड़ाई 15.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 7.50 मीटर -7.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।**
2. **वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन, श्योपुर विकास योजना, 2021 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, श्योपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

G:\23 k 1 k & kha 25.9.23.docx